2010/00008

मि0न0 10/2011 (रेफरेन्स) सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद बनाम रामकल्याण मीणा निवासी जालिमपुरा तहसील दीगोद अध्यक्ष हाड़ौती आदिवासी मीणा समाज छात्रावास समिति सुल्तानपुर जिला कोटा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 18-12-19 | पेशकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–3) विभाग जयपुर क्रमांक प.2 (125) राज ग्रुप–3/08 दिनांक 29.07.08 से ग्राम सुल्तानपुर के ख0 नं0 2184 रकबा 9.15 हैक्टर किस्म बंजड मे से 0.80 हैक्टर की किस्म खारिज कर राजस्थान भू–राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत श्री मीणा समाज को छात्रावास निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन की गई थी । शासन उप सचिव महोदय उपनिवेशन विभाग राज0 सरकार के पत्र क्रमांक प0 19 (20)उप/2009 दि0 3.1.2012 से उक्त भूमि नियमानुसार निःशुल्क आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है । जिला कलक्टर कोटा के आदेश क्रमांक प 2( )राज/उप/आवंटन/07/212–18 दि0 16.1.2012 से उक्त भूमि निःशुल्क आवंटित किया जाना जाहिर है ।<br><br>तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स मे उक्त आवंटित भूमि की राशि की 50 प्रतिशत कीमत की राशि 1,97,685/–रूपये जमा नही करवाये जाने पर आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया है ।<br><br>तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रकरण मे यह तथ्य स्पष्ट नही किया है उक्त भूमि के आवंटन की राशि 1,97,685/–रूपये किस आदेश से चाही जा रही है । इस संबंध मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/रीडर/एडीएम/16/1572 दि0 23.06.2016, 2592 दि0 07.11.2016, 573 दि0 06.03.2017,1251 दि0 29.06.2017,1899 दि0 16.10.2019, 188 दि0 21.2.2018, व अ0 शा0 पत्रांक 415 दि0 10.05.2018,236 दि0 29.01.2019,698 दि0 23.07.2019 व 1065 दिनांक 21.10.2019 से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई है जो आदिनांक तक प्राप्त नही हुई है ।<br><br>अतः तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि तहसीलदार दीगोद वादग्रस्त आवंटित भूमि की 50 प्रतिशत कीमत के संबंध मे जांच कर स्पष्ट तथ्य अंकित करते हुए पुनःनये सिरे से उक्त रेफरेन्स का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। मूल ही मय दस्तावेज तहसीलदार दीगोद को लौटाया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो ।<br><br>अति0 जिला कलक्टर<br>कोटा | |

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए